राम सुरेश सिंह

बनाम

प्रभात सिंह उर्फ़ छोटू सिंह एवं एक अन्य

2009 की आपराधिक अपील सं. 909

05 मई, 2009

**(माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.बी. सिन्हा तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री सिरिएक जोसेफ)**

*किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2001:*

*नियम 22 — आयु निर्धारण — निर्णय : चिकित्सा बोर्ड की राय को केवल तभी प्राथमिकता दी जाएगी जब उस विद्यालय का जन्म–तिथि प्रमाण–पत्र उपलब्ध न हो जिसमें अभियुक्त ने प्रथम बार प्रवेश लिया था। तथ्यों में, विद्यालय के अभिलेख (स्कूल पंजिका) में दर्ज जन्म–तिथि प्रमाणित हो चुकी थी; अतः उच्च न्यायालय द्वारा उसी को स्वीकार करना और अभियुक्त को किशोर घोषित करना सही था। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 — धारा 6-साक्ष्य अधिनियम, 1872 — धारा 35*

**प्रतिवादी सं. 1 पर धारा 302 भा.दं.वि. के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने का आरोप था। उसने यह दावा किया कि वह घटना–तिथि पर किशोर था। इस हेतु उसने विद्यालय के प्रवेश–पंजिका में दर्ज प्रविष्टियाँ प्रस्तुत कीं। हालाँकि संबंधित दंडाधिकारी ने एक चिकित्सा बोर्ड का गठन किया और उसकी विवरणी के आधार पर यह निर्णय दिया कि प्रतिवादी सं. 1 घटना–तिथि को 20 वर्ष से अधिक आयु का था। पुनरीक्षण में, उच्च न्यायालय ने विद्यालय–पंजिका में दर्ज प्रविष्टियों से संबंधित साक्ष्य पर अवलंबन करते हुए प्रतिवादी को किशोर माना। इससे असंतुष्ट होकर, शिकायतकर्ता ने यह अपील दायर की।**

**अपील खारिज करते हुए, न्यायालय ने यह निर्णय दिया—**

**1.1 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2001 के नियम 22 में आयु निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान है। इस नियम से यह**

**स्पष्ट है कि चिकित्सा बोर्ड की राय को तभी प्राथमिकता दी जाएगी जब उस विद्यालय से जन्म–तिथि प्रमाण–पत्र उपलब्ध न हो जिसमें अभियुक्त ने प्रथम बार प्रवेश लिया था। यह भी सर्वविदित है कि आयु के चिकित्सकीय निर्धारण में दो वर्ष तक की त्रुटि संभव होती है। तथापि, वर्तमान मामले में चिकित्सा राय विद्यालय–पंजिका में की गई प्रविष्टि का समर्थन करती है। विद्यालय के प्रवेश–पंजिका को विधि के अनुसार प्रमाणित कर दिया गया है; इसलिए उसे विचार में लेने में कोई कारण बाधक नहीं है। [कंडिका 14, 17–18] [459-डी, जी; 460-जी-एच]**

**1.2 विद्यालय–पंजिका में की गई प्रविष्टि भले ही सार्वजनिक अभिलेख न मानी जाए और इसलिए उसे विधि के अनुसार प्रमाणित किया जाना आवश्यक होता है, किन्तु वर्तमान मामले में वह प्रविष्टि विधिवत् सिद्ध कर दी गई है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ न तो कूट–रचित पाए गए, न जाली, और न ही किसी प्रकार से क़ानून के अंतर्गत अमान्य सिद्ध हुए। यदि कोई दस्तावेज़ वास्तविक सिद्ध हो जाए और विधि की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, तो—उचित अपवादों को छोड़कर—उस पर अवलंबन किया जाना चाहिए। [कंडिका 16 एवं 19] [459-एफ; 461-सी]**

*बीरद मल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित, 1988 (परिशिष्ट) एस.सी.सी. 604; राजा जानकी नाथ रॉय बनाम ज्योतिष चन्द्र आचार्य चौधरी, ए.आई.आर. 1941 कैल. 41; विमल चड्ढा बनाम विकास चौधरी एवं एक अन्य, 2008 (8) स्केल 608; प्रताप सिंह बनाम राज्य झारखंड एवं अन्य, (2005) 3 एस.सी.सी. 551 — इन सभी निर्णयों का संदर्भ दिया गया।*

**2.1 साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 में विद्यालय के प्रवेश–पंजिका में छात्र की आयु से संबंधित प्रविष्टि को प्रमाणित करने के लिए जो शर्त निर्धारित की गई है, उसका मूल्यांकन उस प्रविष्टि की प्रासंगिकता निर्धारित करने के उद्देश्य से किया जाता है। किन्तु वर्तमान मामले में यह शर्त पूर्णतः संतुष्ट मानी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें कोई**

**संदेह नहीं हो सकता कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के उद्देश्यों हेतु—चाहे दीवानी वाद हों या आपराधिक—एक ही मानक लागू किया जाना आवश्यक है। [कंडिका 15 एवं 18] [459-ई; 460-बी]**

*रविन्दर सिंह गोरखी बनाम राज्य उत्तर प्रदेश,* (2006) 5 एस.सी.सी. 585 *तथा जया माला बनाम गृह सचिव, जम्मू एवं कश्मीर सरकार एवं अन्य,* ए.आई.आर. 1982 एस.सी. 1297 = (1982) 2 एस.सी.सी. 202 — *इन निर्णयों पर अवलंबन किया गया।*

*ज्योति प्रकाश राय उर्फ़ ज्योति प्रकाश बनाम बिहार राज्य,* 2008 (3) स्केल 348— इस निर्णय का भी संदर्भ दिया गया।

**3. जब विद्यालय–पंजिका में दर्ज जन्म–तिथि विधि के अनुसार सिद्ध हो चुकी है, तो उसे प्रभावी क्यों न माना जाए—इसके लिए कोई कारण नहीं है। अतः उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। [कंडिका 22 एवं 23] [462-डी]**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2009 की आपराधिक अपील सं. 909

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण सं. 752 सन् 2005 में दिनांक 17.05.2006 को पारित निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से : प्रनीत रंजन, अजय अमृतराज

प्रतिवादी की ओर से : शिशिर पिनाकी, कुमार रंजन, आलोक कुमार, मनीष कुमार, गोपाल सिंह

न्यायालय का निर्णय **माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.बी. सिन्हा** द्वारा प्रदत्त।

1. अनुमति प्रदान की जाती है।

2. प्रतिवादी सं. 1 नवाँ नगर थाना कांड सं. 102/2003 में त्रिभुवन सिंह की हत्या करने के आरोप में विचाराधीन है। हमारे समक्ष अपीलकर्ता मृतक का चाचा है।

3. विचारण न्यायाधीश के समक्ष प्रतिवादी सं. 1 ने यह दलील दिया कि वह किशोर है। इस दलील के समर्थन में सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय, नवाँनगर,

बक्सर के प्रवेश–पंजिका/प्रमाण–पत्र में की गई प्रविष्टियाँ प्रस्तुत की गईं, जिसमें उसने 22 जनवरी 1996 को प्रवेश लिया था तथा 31 दिसम्बर 1999 तक अध्ययन किया था। उक्त प्रमाण–पत्र 23 फरवरी 2000 को निर्गत किया गया था, जिसका प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

| | | |
|---|---|---|
| "1. विद्यार्थी का नाम | : | प्रभात रंजन |
| 2. पिता/अभिभावक का नाम | : | श्री राजकिशोर सिंह |
| 3. स्थायी पता | : | ग्राम–अमीरपुर, पोस्ट–नवाँनगर, जिला–बक्सर (बिहार) |
| 4. विद्यालय में प्रथम प्रवेश की तिथि | : | 22.01.1996 |
| xxx | xxx | xxx |
| 7. प्रवेश–पंजिका में अंकित जन्म–तिथि (अंकों तथा शब्दों में) | : | 10.02.1987 दस फरवरी उन्नीस सौ सतासी |
| 8. विद्यालय छोड़ने की तिथि | : | 31.12.1999 |
| 9. विद्यालय छोड़ने के समय कौन–सी कक्षा में अध्ययनरत | : | कक्षा 8 वीं" |

4. उक्त प्रवेश–पंजिका/प्रमाण–पत्र से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त की जन्म–तिथि 10.02.1987 है।

5. अभिलेख पर 12.11.2003 दिनांकित एक अन्य प्रमाण–पत्र की छाया प्रति भी प्रस्तुत की गई, जो राम लखन सिंह यादव उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी की गई थी। इस प्रमाण–पत्र में भी प्रथम प्रतिवादी की जन्म–तिथि 10.02.1987 ही दर्शाई गई है। इसे विद्यालय के एक शिक्षक श्री राज कुमार (अभियोजन साक्षी–2) ने तथा अभियुक्त के पिता राज किशोर सिंह ने सिद्ध किया।

6. तथापि, माननीय दण्डाधिकारी ने एक चिकित्सा बोर्ड का गठन किया। चिकित्सा बोर्ड ने 10 फरवरी 2005 की अपनी विवरणी में, अस्थिकरण परीक्षण के आधार पर, उसकी आयु 20 से 22 वर्ष के मध्य आंकी।

3 अगस्त 2005 के आदेश द्वारा किशोर न्याय बोर्ड, पटना के प्रधान दण्डाधिकारी ने यह निर्णय दिया कि घटना–तिथि 10 सितंबर 2003 को प्रतिवादी सं. 1 की आयु 20 वर्ष से अधिक थी, यह कहते हुए :

> "अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि केवल चिकित्सा बोर्ड की विवरणी ही साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। अभियुक्त के पिता तथा विद्यालय के शिक्षक के बयान, जो प्रमाण–पत्रों द्वारा समर्थित हैं, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2001 के अनुसार न तो निर्णायक हैं और न ही पर्याप्त। अतः चिकित्सा बोर्ड की विवरणी तथा अभियुक्त के शारीरिक स्वरूप के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह अभियुक्त न तो वर्तमान में और न ही कथित अपराध के समय किशोर था। तदनुसार, वाद अभिलेख को नियमानुसार विचार हेतु संबंधित न्यायालय को वापस भेजा जाता है।"

7. प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त आदेश के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 17 मई 2006 द्वारा पुनरीक्षण स्वीकार करते हुए, माननीय एकल न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया :

> "पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा उनके द्वारा उद्धृत निर्णयों पर विचार करने के उपरांत यह पाया जाता है कि किशोर न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य उसकी आयु निर्धारण के लिए पर्याप्त थे। राम लखन सिंह उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र, जिसमें याचिकाकर्ता की जन्म–तिथि 10.02.1987 अंकित है, 23.02.2000 को जारी किया गया था, जबकि घटनाक्रम की तिथि 10.09.2003 है, जो उक्त प्रमाण–पत्र जारी होने के

काफी बाद की है। आयु के समर्थन में विद्यालय का प्रवेश–पंजिका भी प्रस्तुत किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम अनुक्रमांक 134 पर दर्ज है। वहाँ भी याचिकाकर्ता की जन्म–तिथि 10.02.1987 अंकित है तथा स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि 23.02.2000 दर्शाई गई है। इन दोनों दस्तावेज़ों की सत्यता पर संदेह या शंका करने का कोई कारण नहीं है। आक्षेपित आदेश में भी इन दस्तावेजों—स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा राम लखन सिंह यादव उच्च विद्यालय, नवाँनगर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की छाया-प्रति—को अविश्वसनीय ठहराने हेतु कोई कारण नहीं बताया गया है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के नियम 22(5) में स्पष्ट प्राधान्य–क्रम निर्धारित है, जिसके अनुसार विद्यालय द्वारा जारी जन्म–तिथि प्रमाण–पत्र को विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड की राय पर वरीयता दी जानी चाहिए। केवल तभी चिकित्सा बोर्ड की राय प्राप्त की जा सकती है जब इन दस्तावेज़ों की सत्यता को लेकर कोई विवाद हो। ऐसे ही स्थिति में किशोर न्याय बोर्ड अभियुक्त की आयु निर्धारित करने हेतु चिकित्सा बोर्ड की राय ले सकता है ताकि यह तय किया जा सके कि वह किशोर है या नहीं।"

"यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि अभिलेख पर उपलब्ध इन दस्तावेज़ों, पिता के साक्ष्य तथा शिक्षक के साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराने का कोई कारण नहीं है, किशोर न्याय बोर्ड को याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय करते हुए उसे किशोर घोषित कर देना चाहिए था। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समान प्रकरणों में यह कहा है कि अभियुक्त की आयु निर्धारित करने और उसे किशोर घोषित करने के उद्देश्य से किशोर न्याय बोर्ड तथा न्यायालयों को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रमाण–पत्र तथा पिता एवं शिक्षक के साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि घटना की तिथि को याचिकाकर्ता वास्तव में किशोर था।

अतः दिनांक 03.08.2005 को किशोर न्याय बोर्ड, पटना सिटी द्वारा जे.जे.बी. सं. 492/2005 में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है और यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।"

8. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रनीत रंजन ने यह प्रतिवाद प्रस्तुत किया कि :

(i) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए, उच्च न्यायालय ने चिकित्सा बोर्ड की राय के स्थान पर विद्यालय–पंजिका में दर्ज प्रविष्टियों पर अवलंबन करके गंभीर त्रुटि की है।

(ii) प्रवेश–पंजिका में छात्र की जन्म–तिथि से संबंधित प्रविष्टि एक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं होती; अतः यह सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि यह प्रविष्टि छात्र के अभिभावक के कहने पर ही दर्ज की गई थी।

इस तर्क के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय *बीरद मल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित,* [1988 (परिशिष्ट) एस.सी.सी. 604] तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय *राजा जानकी नाथ रॉय बनाम ज्योतिष चन्द्र आचार्य चौधरी,* [ए.आई.आर. 1941 कैल.] 41, पर दृढ़ता से अवलंबन किया गया।

(iii) किसी व्यक्ति की आयु का निर्धारण साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत ही किया जाना है और यह विधिक सिद्धांत दीवानी एवं आपराधिक — दोनों प्रकार की कार्यवाहियों में समान रूप से लागू होता है; इसलिए उच्च न्यायालय ने जांच–कार्यवाही में परीक्षित साक्षियों — अर्थात राज कुमार और राज किशोर सिंह — के कथनों का सही दृष्टिकोण से मूल्यांकन नहीं किया।

9. दूसरी ओर, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिशिर पिनाकी ने यह प्रतिवाद प्रस्तुत किया कि :

(क) चूँकि प्रतिवादी सं. 1 से संबंधित विद्यालय का प्रवेश–पंजिका, जिसमें उसकी जन्म–तिथि दर्ज है, विधि के अनुसार सिद्ध हो चुका है, इसलिए आक्षेपित आदेश में कोई दोष नहीं कहा जा सकता।

(ख) यह भी प्रस्तुत किया गया कि यदि चिकित्सा विवरणी को ध्यान में रखा जाए — जो कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2001 के नियम 22(5) के आलोक में आवश्यक नहीं भी हो सकती — तो भी दो वर्ष

इधर–उधर की संभावित त्रुटि को देखते हुए प्रतिवादी की आयु 18 वर्ष ही मानी जाएगी।

(ग) बिहार शिक्षा संहिता को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, और उसके अनुच्छेद 242 में विद्यालय–पंजिका के संधारण का प्रावधान है; इसलिए ऐसे पंजिका की प्रविष्टियों के संदर्भ में सही होने का प्रत्यभिज्ञान उठाया जाना चाहिए।

10. किसी व्यक्ति की आयु का निर्धारण करना कई बार एक कठिन प्रश्न सिद्ध होता है। जब तक कोई वैधानिक नियम गठित नहीं किया गया था, तब तक निस्संदेह साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों का कठोर अनुपालन अपेक्षित था।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 6 किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियों का निर्धारण करती है, जो इस प्रकार है :

"**6. किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियाँ**.— (1) जहाँ किसी जिला या जिलों के समूह के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है, वहाँ यह बोर्ड, वर्तमान में प्रभावी किसी अन्य विधि में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद—परन्तु इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट प्रावधान किए जाने की स्थिति को छोड़कर—कानून से संघर्षरत किशोरों से संबंधित इस अधिनियम के अंतर्गत सभी कार्यवाहियों का विशेष रूप से निपटारा करने की शक्ति रखेगा।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत या इसके द्वारा बोर्ड को प्रदान की गई शक्तियाँ उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय भी प्रयोग कर सकते हैं, जब कोई कार्यवाही उनके समक्ष अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्य किसी प्रकार से प्रस्तुत की जाए।"

11. प्रतिवादी सं. 1 ने स्वयं को किशोर होने का दावा किया। इस दावे पर एक जांच कराए जाने का निर्देश दिया गया। जांच के दौरान, सरकारी माध्यमिक विद्यालय, नवाँनगर द्वारा संधारित मूल पंजिका प्रस्तुत किया गया। उसमें प्रतिवादी की जन्म–तिथि 10.02.1987 अंकित थी। हमारे समक्ष यह प्रश्न उठाया गया कि क्या उक्त पंजिका के स्तंभ

सं. 5 को भरा गया था या नहीं। इस संबंध में यह दिखाने हेतु एक शपथ–पत्र दायर किया गया कि स्तंभ सं. 5 पिता द्वारा की गई घोषणा के आधार पर भरा गया था। अतः, हम इसी आधार पर आगे विचार करते हैं।

12. प्रतिवादी सं. 1 को 22 जनवरी 1996 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नवाँनगर में प्रवेश दिया गया तथा उसने यह विद्यालय 31 दिसंबर 1999 को छोड़ दिया। 23 फरवरी 2000 को उसे एक प्रमाण–पत्र जारी किया गया ताकि वह दूसरे विद्यालय, अर्थात राम लखन सिंह यादव उच्च विद्यालय, में प्रवेश ले सके। हम बाद वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी प्रमाण–पत्र पर विचार नहीं करते, क्योंकि उसकी केवल एक छाया प्रति ही अभिलेख पर लाई गई थी। मूल प्रतिलिपि प्रस्तुत न किए जाने के कारण वह साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य थी।

13. अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष राम लखन सिंह यादव विद्यालय के एक शिक्षक श्री राज कुमार ने अपना बयान दर्ज कराया। यद्यपि वे उस समय उपस्थित नहीं थे जब प्रतिवादी सं. 1 का विद्यालय में प्रवेश हुआ था, फिर भी उन्होंने प्रवेश–पंजिका की प्रविष्टियों को सिद्ध किया। अतः यह कहना सही नहीं होगा कि प्रवेश–पंजिका की सामग्री सिद्ध नहीं हुई। प्रतिवादी के पिता राज किशोर सिंह ने भी अपना साक्ष्य दिया और प्रतिवादी सं. 1 की जन्म–तिथि को सिद्ध किया।

14. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 68 के अनुसार केंद्र सरकार ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2001 बनाए हैं। इन नियमों का नियम 22 आयु–निर्धारण की प्रक्रिया तय करता है। यह स्पष्ट करता है कि चिकित्सा बोर्ड की राय तभी ली जानी चाहिए जब प्रथम अध्ययन किए गए विद्यालय का जन्म–तिथि प्रमाण–पत्र उपलब्ध न हो।

15. साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 में जो शर्तें विद्यालय के प्रवेश–पंजिका में दर्ज आयु–सम्बन्धी प्रविष्टि को सिद्ध करने हेतु निर्धारित हैं, वे प्रविष्टि की प्रासंगिकता

निर्धारित करने हेतु लागू होती हैं। इस मामले में वे शर्तें पूरी की गई हैं।

16. विद्यालय–पंजिका की प्रविष्टि भले ही सार्वजनिक दस्तावेज न हो और विधि के अनुसार सिद्ध की जानी अनिवार्य हो — जैसा कि इस न्यायालय ने *बीरद मल सिंघवी* (उपरोक्त) में कहा — तथापि इस प्रकरण में वह प्रविष्टि विधिनुसार सिद्ध की जा चुकी है।

17. यहाँ तक कि यदि चिकित्सा विवरणी पर विचार भी किया जाए, तो यह सर्वविदित है कि आयु–निर्धारण में दो वर्ष तक की त्रुटि संभव होती है।

इस न्यायालय ने *जया माला बनाम गृह सचिव, जम्मू एवं कश्मीर सरकार एवं अन्य* [ए.आई.आर.1982 एस.सी.1297=(1982)2 एस.सी.सी. 202] के मामले में यह कहा :

> "यह सर्वविदित है, और न्यायालय न्यायिक संज्ञान ले सकता है, कि रेडियोलॉजिकल परीक्षण द्वारा निर्धारित आयु में दो वर्ष तक की त्रुटि—दोनों ओर—संभावित होती है।"

18. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के उद्देश्यों के लिए दीवानी तथा आपराधिक — दोनों प्रकार की कार्यवाहियों में समान मानदंड लागू होता है। इस न्यायालय ने *रविन्दर सिंह गोरखी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,* (2006) 5 एस.सी.सी. 584, में यह कहा था :

> "38. विद्यालय–पंजिका अथवा अन्य प्रकार से दर्ज किसी व्यक्ति की आयु का उपयोग अनेक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है—जैसे प्रवेश प्राप्त करने हेतु, नियुक्ति प्राप्त करने हेतु, चुनाव लड़ने हेतु, विवाह–पंजीकरण हेतु, भू–सीलिंग कानूनों के अंतर्गत पृथक इकाई प्राप्त करने हेतु, तथा दीवानी मंच पर वाद–विवाद हेतु—उदाहरणार्थ, किसी पक्षकार का नाबालिग होने के कारण अभिभावक द्वारा प्रतिनिधित्व की आवश्यकता; या यह आधार लेकर वाद दायर करना कि वादी नाबालिग था और उसका समुचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं हुआ; अथवा उसके ओर से किया गया कोई लेन–देन नाबालिग होने के कारण अमान्य है। किसी वाद–विवाद में किसी पक्षकार की आयु निर्धारित करते समय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार न्यायालय को समान

> मानदंड लागू करना होगा। अभियुक्त के मामले में कोई भिन्न मानदंड नहीं अपनाया जा सकता—चाहे वह अपहरण या बलात्कार अथवा इसी प्रकार के अपराध का मामला हो—जहाँ पीड़िता या अभियोजिका ने अभियुक्त के साथ सहमति व्यक्त की हो, किंतु विद्यालय-पंजिका की प्रविष्टियों के आधार पर दोषसिद्धि का निर्णय दिया जाए। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार से वंचित किया जा सकता है, क्योंकि उसे अन्यायपूर्ण रूप से दोषी ठहराया जा सकता है।"

किन्तु, वर्तमान मामले में प्रस्तुत चिकित्सा-राय विद्यालय-पंजिका की प्रविष्टि की पुष्टि करती है। चूँकि विद्यालय का प्रवेश-पंजिका विधिनुसार सिद्ध किया जा चुका है, अतः इसे विचार में लेने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है।

19. हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि इस प्रकार के मामलों में यह निर्धारित करना कठिन होता है कि निम्न आयु, उच्च आयु, अथवा औसत आयु में से किसे आधार माना जाए। प्रत्येक मामला अपने विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करता है। *ज्योति प्रकाश राय उर्फ़ ज्योति प्रकाश बनाम बिहार राज्य,* 2008 (3) स्केल 348 में इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों पर विचार करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया :

> "19. अपीलकर्ता ने अपराध-तिथि के अनुसार अपनी आयु सिद्ध करने हेतु बड़ी संख्या में दस्तावेज़ प्रस्तुत किए थे। विद्यालय-प्रमाण-पत्र तथा कुंडली की सत्यता पर प्रश्न उठाए गए थे। प्रस्तुत विद्यालय-प्रमाण-पत्र को जाली एवं मनगढ़ंत पाया गया तथा वास्तव में संस्था-प्रधान के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कराने का निर्देश भी दिया गया।"
>
> 20. अतः न्यायालय के पास आयु निर्धारित करने के लिए चिकित्सा विवरणी पर अवलंबन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। 24.04.2001 तथा 29.06.2001 की दोनों चिकित्सा विवरणी में अपीलकर्ता की आयु 18 से 19 वर्ष के मध्य बताई गई थी। पहली विवरणी के अनुसार उसकी आयु 18 वर्ष 5 माह 8 दिन थी, तथा दूसरी विवरणी के अनुसार 18 से 19 वर्ष के बीच। उच्च

> न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि 01.04.2001 को अपीलकर्ता निश्चित रूप से 18 वर्ष से अधिक आयु का था, 18 से कम नहीं।
>
> 21. न्यायालयों ने पूर्व में भी इसी प्रकार के प्रश्नों पर विचार किया है। अतः जब अनेक कारकों — विशेषकर यह तथ्य कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र तथा कुंडली जाली और मनगढ़ंत पाए गए — तथा दोनों चिकित्सा विवरणी को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलकर्ता की आयु 01.04.2001 को 18 वर्ष से अधिक पाई है, तो हमारे मत में उस निष्कर्ष पर आपत्ति करने का कोई कारण नहीं है।"

इस मामले में, तथापि, प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ न तो जाली, न मनगढ़ंत, और न ही विधि के दृष्टिकोण से अप्रामाण्य पाए गए। यदि कोई दस्तावेज़ विधि के अनुसार सिद्ध हो जाए तथा कानून की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हो, तो—उचित अपवादों को छोड़कर—उस पर अवलंबन किया जाना चाहिए।

20. तथापि, *विमल चढ्ढा बनाम विकास चौधरी एवं अन्य,* 2008 (8) स्केल 608 के मामले में इस न्यायालय ने आयु-निर्धारण का प्रश्न नियमों के अनुरूप तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 472 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार हेतु वापस भेज दिया था।

21. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रनीत रंजन ने *प्रताप सिंह बनाम राज्य झारखंड एवं अन्य,* (2005) 3 एस.सी.सी. 551 में इस न्यायालय के एक सदस्य द्वारा की गई टिप्पणियों पर अवलंबन किया, यह तर्क देते हुए कि मॉडल नियम लागू नहीं होते, परंतु अब जबकि वैधानिक नियम लागू हो चुके हैं, उसमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।

22. चूँकि इस मामले में विद्यालय-पंजिका में दर्ज जन्म-तिथि विधि के अनुसार सिद्ध हो चुकी है, इसलिए हमारे मत में इसे प्रभाव देने से इंकार करने का कोई

कारण नहीं है।

23. अतः, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती। यह अपील खारिज की जाती है।

आर.पी. अपील खारिज।

**खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**